समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल , ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

PM SHRI

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2026–27 / Assessment Camps/ 7128 दिनांक : यथा हस्ताक्षर 27/07/202

दिशा–निर्देश
(सत्र 2026–27)

1. Identification and Assessment (Medical Assessment Camps)

(Samagra Shiksha & PM SHRI School-Assessment Camps)

राजकीय विद्यालयों में **कक्षा 1 से कक्षा 12** में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) के चिकित्सकीय एवं क्रियात्मक आवश्यकताओं के आंकलन करने तथा इन विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार सम्बलन, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, शिक्षण सामग्री, विविध उपकरण एवं लो–विजन उपकरण आदि प्रदान करने हेतु Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) आयोजित किये जाने हैं। उक्त गतिविधि NEP 2020 के Group-2, Reference Para No. 6.10 & 6.11 & Tracker-181 से संबंधित है।

समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री विद्यालय हेतु Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) का आयोजन भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (Alimco) फरीदाबाद / नई दिल्ली एवं प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा के सहयोग से ब्लॉक / जिला स्तर पर किये जाते हैं। Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) हेतु मेडीकल बोर्ड का गठन किया जाकर निम्न सारणी में अंकित विवरण के अनुसार कार्य संपादित करवाया जाएगा :–

क्र. सं.	श्रेणी	किये जाने वाले कार्य
1	**अस्थि दोष विशेषज्ञ**	अस्थि दोष से प्रभावित विद्यार्थियों हेतु आवश्यक अंग व उपकरणों का निर्धारण एवं स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।
2	**आई स्पेशलिस्ट**	विद्यार्थियों की आँखों की जाँच करके आवश्यकता अनुसार उपकरणों का निर्धारण (चश्मा, मेग्नीफायर) एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
3	**ई एन टी स्पेशलिस्ट**	विद्यार्थियों के श्रवण एवं स्वर मैकेनिज्म की जाँच करते हुए आवश्यकता का निर्धारण करना एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
4	**मनोचिकित्सक**	मानसिक विमन्दिता एवं मानसिक बीमारी की जाँच करते हुए आवश्यकता का निर्धारण करना एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
5	**सामान्य चिकित्सक**	सामान्य जांच एवं रक्त संबंधी दिव्यांगता, पहचान एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
6	**फिजियोथेरेपिस्ट**	विद्यार्थियों के चलने–फिरने एवं मांसपेशीय समन्वय की जांच करते हुए थैरेपी कार्यक्रम का निर्धारण।

7	स्पीच थेरेपिस्ट	विद्यार्थियों का स्पीच असेसमेन्ट करते हुए थैरेपी कार्यक्रम का निर्धारण।
8	साइकॉलोजिस्ट	विद्यार्थियों की IQ असेसमेन्ट एवं व्यवहारगत समस्याओं का अध्ययन करते हुए सुधारात्मक कार्यक्रम का निर्धारण।
9	ऑप्टोमेट्रिस्ट	विद्यार्थियों की आँखों की जाँच में सहयोग, उपकरणों का निर्धारण, लो–विजन विद्यार्थियों का असेसमेन्ट कराना।
10	ऑडियोलॉजिस्ट (जांच उपकरण सहित)	श्रवण जांच करना, उपकरणो का निर्धारण असेसमेन्ट व ऑडियोग्राम जारी करना।

नोट :– Rights of Persons With Disability Act, 2016 के अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता के प्रमाण पत्र एवं UDID जारी किये जाने के कम में जिला कलक्टर से आदेश कराकर सभी प्रकार के विशेषज्ञों की उपलब्धता एवं संबंधित जांच सुनिश्चित करते हुए दिव्यांगता प्रमाण–पत्र का कार्य उसी दिवस करवाया जाना सुनिश्चित करें।

1.1 समयावधि :–अगस्त–सितम्बर 2026

1.2 वित्तीय प्रावधान :–

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री विद्यालय हेतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के असेसमेन्ट कैम्प तथा असेसमेन्ट पश्चात अंग–उपकरण वितरण कैम्प के आयोजन हेतु समग्र शिक्षा अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं माध्यमिक में कुल राशि ₹ 10,000/– प्रति कैम्प की दर से प्रत्येक ब्लॉक में दो कैम्प हेतु एवं पीएमश्री विद्यालय हेतु ₹ 2,000/– प्रति पीएमश्री विद्यालय की दर से निम्नानुसार राशि अनुमोदित की गई है :–

Sub Component	Activity	Sub Activity	Unit Cost-Per Block	Target	
				Phy	Fin (In Lakh)
Provision for Children with Special Needs (CWSN)	Identification & Assessment (up to Highest Class VIII)	Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) (C728)	0.10000	756 (378 ब्लॉकों हेतु 2 कैम्प प्रति ब्लॉक)	75.60
	Identification & Assessment (Upto Highest Class - XII)	Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) (C2617)	0.10000	756 (378 ब्लॉकों हेतु 2 कैम्प प्रति ब्लॉक)	75.60
			Total		**151,20**

Phase : Phase I to VII

Sub Component	Activity	Sub Activity	Unit Cost	Target	
				Phy.	Fin. (In Lakh)
Provision for Children with Special Needs (CWSN)	**Student Oriented Component**	**C349 :- Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) (R)**	**0.020**	**639**	**12.78**

Phase : Phase VIII (Kota & Bundi)

Sub Component	Activity	Sub Activity	Unit Cost	Target	
				Phy.	Fin. (In Lakh)
Provision for Children with Special Needs (CWSN)	**Student Oriented Component**	**C349 :- Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) (R)**	**0.020**	**10**	**0.20**

उक्त दोनों कैम्प आयोजन हेतु जिले को आंवटित कुल बजट की सीमा में कैम्प हेतु निम्नानुसार व्यय किया जा सकेगा :–

- विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं कार्मिकों हेतु चाय, नाश्ता एवं वर्किंग लंच – ₹ 150/– प्रति व्यक्ति।
- बैठक एवं टेन्ट व्यवस्था लगभग – ₹ 7000/– प्रति कैम्प प्रति दिवस।
- कन्टींजेन्सी/फोटोग्राफी/विडियोग्राफी – लगभग ₹ 3000/– प्रति कैम्प
- विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों हेतु यात्रा व्यय– वास्तविक।
- एलिम्को तकनीकी दल हेतु भोजन/नाश्ता – ₹ 200/– प्रति व्यक्ति प्रति दिवस।

1.3 कार्य

1. कैम्प में UDISE+ में चिह्नित नये विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से बुलाया जाना सुनिश्चित करें, एवं इन विद्यार्थियों को दिये जाने वाले अंग–उपकरण के संबंध में जिला स्तर पर संकलन किया जाना सुनिश्चित करें।
2. श्रवण बाधित विद्यार्थियों हेतु ऑडियोमेटरी टेस्ट एलिम्को, फरीदाबाद/नई दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। जिले के श्रवण बाधित विद्यार्थियों को कैम्प में लाया जाना सुनिश्चित करें जिससे आवश्यक उपकरण हेतु चिह्नित किया जा सके।
3. सीबीईओ/पीईईओ द्वारा संदर्भ शिक्षक (CwSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) एवं नोडल प्रभारी की सहायता से डाइस डाटा के अनुसार जिन विद्यार्थियों का मेडीकल असेसमेन्ट **नहीं** हुआ है तथा जिन्हें अंग–उपकरण/लो–विजन डिवाइसेस की आवश्यकता है उनकी पृथक्–पृथक् सूची मय पूर्ण पते के साथ तैयार कराकर व्यक्तिशः विद्यार्थियों के प्रमाणीकरण कर सूची नोडल स्तर पर उपलब्ध करा दी जाये ताकि कैम्प आयोजन की तिथि निर्धारित होने पर ऐसे विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जा सके। इस सूची को कम्प्यूटर में सुरक्षित भी रखा जाये।
4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) राजस्थान के साथ समन्वय कर RBSK द्वारा चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को असेसमेन्ट कैम्प में सम्मिलित किया जाये एवं आवश्यकतानुसार अंग–उपकरण उपलब्ध कराये जाये।
5. उक्त समस्त कैम्पों की सूचना जिले में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों को पूर्व में ही पत्र/एसएमएस/मोबाईल/WhatsApp द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ताकि समस्त पात्र विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।
6. उक्तानुसार चयनित विद्यार्थियों के आवेदन पत्र आदि भराकर उन्हें कैम्प स्थल तक लाने का दायित्व सीबीईओ एवं संबंधित विद्यालय के पीईईओ/प्रधानाध्यापक, संदर्भ शिक्षक (CwSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक)/विशेष शिक्षक का होगा।
7. मेडीकल बोर्ड में यथा संभव राजकीय चिकित्सक ही बुलाए जायें तथा इस हेतु पूर्व में ही जिला कलक्टर के द्वारा आदेश जारी करवायें।
8. राजकीय चिकित्सकों की उपलब्धता **नहीं** होने पर जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात् निजी चिकित्सकों को कैम्प में बुलाया जा सकेगा।
9. बोर्ड के सदस्यों को कैम्प स्थल तक लाने व ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा ही की जायेगी। उक्त वाहन यथा संभव पूर्व में परियोजना कार्य में संचालित होना चाहिए। अपरिहार्य स्थिति में वाहन उपलब्ध **नहीं** होने पर मुख्य कार्यकारी

अधिकारी, जिला परिषद से अनुमोदन पश्चात् वित्त विभाग की अनुमोदित दरों पर अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था की जाकर व्यय प्रबंधन मद से किया जा सकेगा।

10. एलिम्को तकनीकी दल हेतु आवास व्यवस्था सर्किट हाउस अथवा डाक बंगले में उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।
11. एलिम्को तकनीकी दल के सदस्यों को नियमानुसार टीए/डीए का भुगतान स्वयं के विभाग नई दिल्ली से ही देय होगा।
12. एलिम्को विशेषज्ञ तकनीकी दल को कोई मानदेय देय **नहीं** होगा।
13. विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु नाश्ता, भोजन, टेन्ट इत्यादि की नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर व्यवस्था की जायें।
14. उपापन के संबंध में RTPP Act 2012 एवं RTPP Rule 2013 के प्रावधानों की पालना की जाये।
15. बजट के पारदर्शितापूर्ण उपयोग हेतु पूर्व नियोजन के साथ पात्र विद्यार्थियों को ही बुलवाया जाये।
16. व्यवस्था हेतु किये गये व्यय का समायोजन निर्धारित समयावधि में कर व्यय की प्रविष्टि PRABANDH Portal पर किया जाना सुनिश्चित करें।

1.4 क्रियान्वयन के बिन्दु :–

1. एक से अधिक ब्लॉक हेतु कैम्प स्थानीय आवश्यकतानुसार संयुक्त रूप से लगाये जा सकेंगे।
2. कैम्प आयोजन तिथि (अगस्त–सितम्बर 2026) एवं स्थान के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी करायी जाये।
3. कैम्पों में गैर सरकारी संगठनों को भी सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाये तथा उनकी भूमिका निर्धारित की जाये।
4. गत सत्र के शेष रहे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ही मेडिकल असेसमेन्ट सुनिश्चित कराया जाये। फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार संदर्भ कक्ष का कलैण्ड़र निर्धारित करते हुए विद्यार्थियों को संदर्भ कक्ष में बुलाया जाये जिससे संदर्भ शिक्षक (CwSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) द्वारा निर्धारित संबलन प्रदान किया जा सके।
5. विद्यार्थियों की थैरेपी का आंकलन किया जाकर थैरेपी कार्यक्रम तैयार कराये जाये व संदर्भ शिक्षक (CwSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) द्वारा तदनुसार क्रियान्वयन किया जाये।
6. Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) आयोजन के समय जिला कलेक्टर के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रेलवे एवं रोड़वेज के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये जिससे इन विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, छात्रवृति से संबधित प्रक्रिया तथा अन्य सुविधाएं हेतु सहयोग प्राप्त हो सकें।
7. कैम्प में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नांकित दस्तावेज साथ लाने हेतु अनिवार्य रूप से सूचित किया जाये :–
   - ✓ पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ्स – 4
   - ✓ मूल निवास प्रमाण पत्र
   - ✓ आय प्रमाण पत्र
   - ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
8. कैम्प में आधार/जनआधार अंग–उपकरण हेतु चयनित प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक का मोबाईल नम्बर लिया जाकर अंग–उपकरण वितरण की तिथियां निर्धारित होने पर निर्धारित तिथियों से कम से कम तीन दिवस पूर्व तिथियों एवं आयोजन स्थल की जानकारी Mobile/SMS/ WhatsApp/ दूरभाष द्वारा प्रेषित की जायेगी।

9. समस्त सूचना कैम्प समाप्ति के बाद एक रिपोर्ट परिषद् मुख्यालय, जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें।

2. अंग–उपकरण वितरण

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को सामान्य विद्यालयों की मुख्यधारा में सम्मिलित कराने हेतु समावेशी शिक्षा के तहत फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में चयनित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क अंग–उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु अंग–उपकरण वितरण कैम्प जिले स्तर पर आयोजन किया जाना है :–

1. Identification and Assessment (Medical Assessment Camp) के आयोजन पश्चात् भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) फरीदाबाद/नई दिल्ली से प्राप्त प्रोफार्मा इन्वाइस के आधार पर अग्रिम राशि परिषद् मुख्यालय से प्रेषित की जायेगी। यह राशि "Providing Aids and Appliances" उपमद के अन्तर्गत आंवटित राशि में से प्रभार्य की जा सकेगी।
2. अंग–उपकरण वितरण कैम्प का आयोजन Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) उपमद से किया जायेगा एवं यदि राशि कम पड़ती है कि ऐसी स्थिति में "Providing Aids and Appliances" उपमद से किया जायेगा।
3. भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) फरीदाबाद/नई दिल्ली के सहयोग से आयोज्य Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) में चयनित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अंग–उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
4. भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) फरीदाबाद/नई दिल्ली से अंग–उपकरण प्राप्त होने के पश्चात् एलिम्को से सहमति प्राप्त तिथियों में सामग्री का वितरण किया जायेगा।
5. अंग–उपकरण वितरण कैम्प में एलिम्को के प्रतिनिधि आवश्यक रूप से बुलाये जाएंगे जिनके द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार अंग–उपकरणों का माप लेकर अंग–उपकरण उपलब्ध कराये जायेगें।
6. जिले के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एलिम्को से प्राप्त समस्त सामग्री पात्र विद्यार्थियों को वितरित कर दी जाये तथा कोई भी अंग–उपकरण अवितरित <u>नहीं</u> रहे।
7. Identification and Assessment (Medical Assessment Camps) में अंग–उपकरण हेतु चयनित प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक को अंग–उपकरण वितरण की तिथियां निर्धारित होने पर निर्धारित तिथियों से कम से कम <u>तीन दिवस पूर्व</u> तिथियों एवं आयोजन स्थल की जानकारी Mobile/SMS/ WhatsApp/ दूरभाष द्वारा प्रेषित की जायेगी।
8. अंग–उपकरण उपलब्ध कराने हेतु SCHEME OF ASSISTANCE TO DISABLED PERSONS FOR PURCHASE/FITTING OF AIDS/APPLIANCES (ADIP SCHEME) योजना के प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाये।
9. एलिम्को तकनीकी दल के सदस्यों को नियमानुसार टीए/डीए का भुगतान स्वयं के विभाग एल्मिको, फरीदाबाद/नई दिल्ली से ही देय होगा।
10. विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु नाश्ता, भोजन, टेन्ट इत्यादि की नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर व्यवस्था की जाये।

11. व्यवस्था हेतु किये गये व्यय का समायोजन निर्धारित समयावधि में कर व्यय की प्रविष्टि PRABANDH पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।
12. परिषद् स्तर से शाला दर्पण पोर्टल पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले अंग–उपकरणों की प्रविष्टि हेतु मॉड्यूल तैयार किया गया। उक्त मॉड्यूल पर उपकरणों की विद्यार्थीवार प्रविष्टि की जानी है।
13. गंभीर दोष से ग्रसित CwSN के शिविर में नहीं आने की स्थिति में अभिभावक को उपकरण दिया जायेगा।
14. उक्तानुसार कार्यक्रम का प्रभावी आयोजन करते हुए कैम्प आयोजन के 7 दिवस में प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(डॉ0 रश्मि शर्मा) 27/7/26
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2026–27/ Assessment Camps/7128 **दिनांक : यथा हस्ताक्षर** 27/07/2026
प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (योजना एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

अंग–उपकरण वितरण की सूचना

क्र. सं.	नाम विद्यार्थी	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	दोष का प्रकार	अंग –उपकरण का नाम
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक

INCLUSIVE EDUCATION 2026-27

S.N.	NAME OF DISTRICT	Identification and Assessment (Medical Assessment Camps)- Rs. 10,000 Per Camp & each Block 2 Camps					
		No. of Block	2 Camp each Block	Unit cost	Budget in ELE.	Budget in SEC.	Total Budget
1	AJMER	10	2	0.10000	2.0000	2.0000	4.000
2	ALWAR	11	2	0.10000	2.2000	2.2000	4.400
3	BALOTARA	9	2	0.10000	1.8000	1.8000	3.600
4	BANSWARA	13	2	0.10000	2.6000	2.6000	5.200
5	BARAN	8	2	0.10000	1.6000	1.6000	3.200
6	BARMER	14	2	0.10000	2.8000	2.8000	5.600
7	BEAWAR	6	2	0.10000	1.2000	1.2000	2.400
8	BHARATPUR	7	2	0.10000	1.4000	1.4000	2.800
9	BHILWARA	14	2	0.10000	2.8000	2.8000	5.600
10	BIKANER	10	2	0.10000	2.0000	2.0000	4.000
11	BUNDI	5	2	0.10000	1.0000	1.0000	2.000
12	CHITTAURGARH	11	2	0.10000	2.2000	2.2000	4.400
13	CHURU	8	2	0.10000	1.6000	1.6000	3.200
14	DAUSA	12	2	0.10000	2.4000	2.4000	4.800
15	DEEG	6	2	0.10000	1.2000	1.2000	2.400
16	DHAULPUR	6	2	0.10000	1.2000	1.2000	2.400
17	DIDWANA-KUCHAMAN	7	2	0.10000	1.4000	1.4000	2.800
18	DUNGARPUR	12	2	0.10000	2.4000	2.4000	4.800
19	GANGANAGAR	9	2	0.10000	1.8000	1.8000	3.600
20	HANUMANGARH	7	2	0.10000	1.4000	1.4000	2.800
21	JAIPUR	24	2	0.10000	4.8000	4.8000	9.600
22	JAISALMER	7	2	0.10000	1.4000	1.4000	2.800
23	JALOR	10	2	0.10000	2.0000	2.0000	4.000
24	JHALAWAR	8	2	0.10000	1.6000	1.6000	3.200
25	JHUNJHUNU	11	2	0.10000	2.2000	2.2000	4.400
26	JODHPUR	15	2	0.10000	3.0000	3.0000	6.000
27	KARAULI	8	2	0.10000	1.6000	1.6000	3.200
28	KHAIRTHAL-TIJARA	4	2	0.10000	0.8000	0.8000	1.600
29	KOTA	6	2	0.10000	1.2000	1.2000	2.400
30	KOTPUTLI-BEHROR	6	2	0.10000	1.2000	1.2000	2.400
31	NAGAUR	8	2	0.10000	1.6000	1.6000	3.200
32	PALI	9	2	0.10000	1.8000	1.8000	3.600
33	PHALODI	8	2	0.10000	1.6000	1.6000	3.200
34	PRATAPGARH (RAJ.)	8	2	0.10000	1.6000	1.6000	3.200
35	RAJSAMAND	8	2	0.10000	1.6000	1.6000	3.200
36	SALUMBAR	6	2	0.10000	1.2000	1.2000	2.400
37	SAWAI MADHOPUR	7	2	0.10000	1.4000	1.4000	2.800
38	SIKAR	12	2	0.10000	2.4000	2.4000	4.800
39	SIROHI	5	2	0.10000	1.0000	1.0000	2.000
40	TONK	7	2	0.10000	1.4000	1.4000	2.800
41	UDAIPUR	16	2	0.10000	3.2000	3.2000	6.400
	Total	378			75.600	75.600	151.200